

न्यायालय उपरोक्त अधिकाारी कोत्वात्म (आलवर)
दावा सं० ४१/१४

कृष्ण कुमार बनाम दुलीचन्द

१/५/१४

वादी मय वकील उपज दावा दर्ज रीजिस्टर किया
जावे। प्रतिवादीगण को जर्जे RAO तलबाने से तलब किया
जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक २३/५/१४ को पेश हो।
EUP

२३/५/१४

पत्रावली का अन्वयानुसार अन्वय प्रकरण लोक
प्रदानत/कैम्प कोर्ट में पेश किया जावे।
पत्रावली लोक प्रदानत/कैम्प कोर्ट में
दिनांक १५/६/१४ को पेश हो।

१५/६/१४

पक्षकाराने उपरोक्त
उपस्थित/जा
की गई। पत्रावली
सम्बन्धित पत्रावली
दिनांक १/७/१४ को न्यायालय में पेश हो।

१४/८

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनकी अधिकाारीगण
आपत्ति नहीं। एर-२ शपथ नगई गई। कोई
आपत्ति नहीं। वादी व उनकी वकील की अनुपस्थिति
में वादी अधिकाारीगण अधिकाारीगणों में उपस्थित किया
जावे। पत्रावली अधिकाारीगण अधिकाारीगणों में पेश हो।
कोई अधिकाारीगण अधिकाारीगणों में पेश हो।